

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2020—आश्विन 17, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

अधि. क्र. 238-एफ-1-320-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् मेघनगर, जिला-झाबुआ के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्रं. 08, भगतसिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	(1) वार्ड क्रं. 01, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्रं. 02, सुभाषचंद्र बोस वार्ड (3) वार्ड क्रं. 04, जवाहरलाल नेहरू वार्ड (4) वार्ड क्रं. 13, विनोबा भावे वार्ड (5) वार्ड क्रं. 14, महाराणा प्रताप वार्ड (6) वार्ड क्रं. 15, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्रं. 05, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रं. 07, मौलाना आजाद वार्ड (3) वार्ड क्रं. 09, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (4) वार्ड क्रं. 12, राजीव गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक

5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 01, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र. 04, जवाहरलाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र. 13, विनोबा भावे वार्ड
6	अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 09, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, राजीव गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5, व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, तात्या टोपे वा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

क्र. एफ 1-320-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 238-एफ 1-320-2020-अठारह-3, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 9th October 2020

Not. No. 238-F 1-320-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule, 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Meghanagar, District Jhabua published as follows:—

No.	Reserved wards for Caregory	Total Reserved ward's	Reserved ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	01	(1) Ward No. 08, Bhagat Singh Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	06	(1) Ward No. 01, Chandrashekhar Azad Ward (2) Ward No. 02, Subhashchandra Bose Ward (3) Ward No. 04, Jawaharlal Nehru Ward (4) Ward No. 13, Vinoba Bhawe Ward (5) Ward No. 14, Maharana Pratap Ward (6) Ward No. 15, Dr. Rajendra Prasad Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 05, Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 07, Maulana Azad Ward (3) Ward No. 09, Dr. Bhimrao Ambedkar Ward (4) Ward No. 12, Rajiv Gandhi Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste's (Women)	Nil	Nil
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	03	(1) Ward No. 01, Chandrashekhar Azad Ward (2) Ward No. 04, Jawaharlal Nehru Ward (3) Ward No. 13, Vinoba Bhawe Ward

6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 09. Dr. Bhimrao Ambedkar Ward (2) Ward No. 12. Rajiv Gandhi Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5 & 6) (Women)	02	(1) Ward No. 03, Rani Laxmi Bai Ward (2) Ward No. 10, Tatyia Tope Ward

By order and in the name of the Governor of the Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

अधि. क्र. 239 एफ 01-258-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	(1) वार्ड क्र. 02, लक्ष्मीबाई वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, कबीर वार्ड (3) वार्ड क्र. 21, भगत सिंह वार्ड (4) वार्ड क्र. 28, अशोक वार्ड (5) वार्ड क्र. 33, मौलाना वार्ड (6) वार्ड क्र. 37, दीनदयाल वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 01, गौतम बुद्ध वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, पृथ्वीराज वार्ड (3) वार्ड क्र. 10, तानसेन वार्ड (4) वार्ड क्र. 12, मधुवन वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	11	(1) वार्ड क्र. 03, इन्द्रपुरी वार्ड (2) वार्ड क्र. 04, टालस्टाय वार्ड (3) वार्ड क्र. 19, महात्मा गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र. 23, शिवाजी वार्ड (5) वार्ड क्र. 25, उपवन वार्ड (6) वार्ड क्र. 34, एकता वार्ड (7) वार्ड क्र. 35, सूर्या वार्ड (8) वार्ड क्र. 39, राजीव वार्ड (9) वार्ड क्र. 41, इंदिरा वार्ड (10) वार्ड क्र. 42, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (11) वार्ड क्र. 45, विनोद वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 28, अशोक वार्ड (2) वार्ड क्र. 33, मौलाना वार्ड (3) वार्ड क्र. 37, दीनदयाल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, गौतम बुद्ध वार्ड (2) वार्ड क्र. 12, मधुवन वार्ड

6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	(1) वार्ड क्र. 19, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 25, उपवन वार्ड (3) वार्ड क्र. 35, सूर्या वार्ड (4) वार्ड क्र. 39, राजीव वार्ड (5) वार्ड क्र. 41, इंदिरा वार्ड (6) वार्ड क्र. 45, विनोभा वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	12	(1) वार्ड क्र. 08, अजामिल वार्ड (2) वार्ड क्र. 11, दयानन्द वार्ड (3) वार्ड क्र. 13, विकास वार्ड (4) वार्ड क्र. 15, नूतन वार्ड (5) वार्ड क्र. 16, अनुसुईया वार्ड (6) वार्ड क्र. 20, अम्बेडकर वार्ड (7) वार्ड क्र. 22, महाराणा प्रताप वार्ड (8) वार्ड क्र. 27, सुभाषचंद बोस वार्ड (9) वार्ड क्र. 29, अकबर वार्ड (10) वार्ड क्र. 30, चाणक्य वार्ड (11) वार्ड क्र. 32, नेहरू वार्ड (12) वार्ड क्र. 40, आदर्श वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

क्र. एफ 01-258-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 239-एफ 01-258-2020-अठारह-3, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 9th October 2020

Not. No. 239-F 01-258-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule, 1994 the Reservation of wards for Nagar Palika Nigam Singrauli, District Singrauli published as follows:—

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	06	(1) Ward No. 02, Laxmi Bai Ward (2) Ward No. 07, kabir Ward (3) Ward No. 21, Bhagat Singh Ward (4) Ward No. 28, Ashok Ward (5) Ward No. 33, Maulana Ward (6) Ward No. 37, Dindayal Ward

	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	04	(1) Ward No. 01, Gautam Buddh Ward (2) Ward No. 06, Prithvi Raj Ward (3) Ward No. 10, Tansen Ward (4) Ward No. 12, Madhuvan Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	11	(1) Ward No. 03, Indrapuri Ward (2) Ward No. 04, Talstay Ward (3) Ward No. 19, Mahatama Gandhi Ward (4) Ward No. 23, Shivaji Ward (5) Ward No. 25, Upvan Ward (6) Ward No. 34, Ekta Ward (7) Ward No. 35, Surya Ward (8) Ward No. 39, Rajiv Ward (9) Ward No. 41, Indira Ward (10) Ward No. 42, Sardar Ballabh Bhai Patel Ward (11) Ward No. 45, Vinova Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	03	(1) Ward No. 28, Ashok Ward (2) Ward No. 33, Maulana Ward (3) Ward No. 37, Dindayal Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	02	(1) Ward No. 01, Gautam Buddh Ward (2) Ward No. 12, Madhuvan Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	06	(1) Ward No. 19, Mahatama Gandhi Ward (2) Ward No. 25, Upvan Ward (3) Ward No. 35, Surya Ward (4) Ward No. 39, Rajiv Ward (5) Ward No. 41, Indira Ward (6) Ward No. 45, Vinova Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	12	(1) Ward No. 08, Azamil Ward (2) Ward No. 11, Dayanand Ward (3) Ward No. 13, Vikas Ward (4) Ward No. 15, Nutan Ward (5) Ward No. 16, Anspiya Ward (6) Ward No. 20, Ambedakar Ward (7) Ward No. 22, Maharana Pratap Ward (8) Ward No. 27, Subhash Chand Bose Ward (9) Ward No. 29, Akabar Ward (10) Ward No. 30, Chankya Ward (11) Ward No. 32, Nahru Ward (12) Ward No. 40, Adarsh Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

अधि. क्र. 240 एफ 01-288-2020-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद् कोटर, जिला सतना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 04, संत विनोवा वार्ड (2) वार्ड क्र. 07, पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र. 14, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 02, इंदिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 06, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 08, सुभाष वार्ड (3) वार्ड क्र. 09, शिवाजी वार्ड (4) वार्ड क्र. 13, सरदार भगत सिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 07, पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड (2) वार्ड क्र. 14, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 08, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र. 09, शिवाजी वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 03, संत रैदास वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, कस्तुरबा वार्ड (3) वार्ड क्र. 11, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (4) वार्ड क्र. 15, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

क्र. एफ 01-288-2020-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 240-एफ 01-320-2020-अठारह-3, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 9th October 2020

Not. No. 240-F 01-288-2020-XVIII-3.—In exercise of the powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule, 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Kotar, District Satna published as follows:—

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 04, Sant Vinoba Ward (2) Ward No. 07, Pt. Jawahar Lal Nehru Ward (3) Ward No. 14, Dr. Ambedkar Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	01	(1) Ward No. 02, Indira Gandhi Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 06, Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 08, Subhash Ward (3) Ward No. 09, Shivaji Ward (4) Ward No. 13, Sardar Bhagat Singh Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	02	(1) Ward No. 07, Pt. Jawahar Lal Nehru Ward (2) Ward No. 14, Dr. Ambedkar Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	Nil	Nil
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No. 08, Subhash Ward (2) Ward No. 09, Shivaji Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	04	(1) Ward No. 03, Sant Raidas Ward (2) Ward No. 10, Kasturba Ward (3) Ward No. 11, Swami Vivekanand Ward (4) Ward No. 15, Lal Bahadur Shastri Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.